

# फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

खबार् ह्युव मीरे रग आरि मुखलभान नाम ह्युव खीलधर शिव  
निगसी डोहरिपो डी वस्ली लछो शिव

किस्म मुकदमा राजस्व अन्वयेदम अधि. मुकदमा नम्बर 51 / 2020

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व दिनांक अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24/06/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री राजमोहन कुमार ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 131, 136 काश्तकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/08/2020 को पेश हो।	
20/8/20	पत्रावली आज पेश हुई। आज हम दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। अतः इतला होकर पत्रावली आईन्दा वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि. 19/10/20 को पेश हो।	
14/10/20	पत्रावली आज पेश हुई। आज हम दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। अतः इतला होकर पत्रावली आईन्दा वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि. 6/10/20 को पेश हो।	
26/10/20	पत्रावली आज पेश हुई। आज हम दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। अतः इतला होकर पत्रावली आईन्दा वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि. 11/10/20 को पेश हो।	
11/12/20	पत्रावली आज पेश हुई। आज हम दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। अतः इतला होकर पत्रावली आईन्दा वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि. 15/11/20 को पेश हो।	
15/1/21	पत्रावली आज पेश हुई। आज हम दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। अतः इतला होकर पत्रावली आईन्दा वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि. 28/1/21 को पेश हो।	

सहायक कलक्टर (SDO) शिव



TSOS-महामातृ मंत्र के विराम पत्रावली ह्युव  
ह्युव ह्युव मंत्रावली ह्युव ह्युव मंत्रावली ह्युव  
मंत्रावली ह्युव मंत्रावली ह्युव मंत्रावली ह्युव

9.7.25

पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित।  
पत्रावली वाले ऑफिस काबू में, तस्वीर  
कार्यालय शिव को अगामी महीने पेश  
या न्यायालय में उपस्थित होने का  
हमना किया जाकर दिनांक 06.08.25 को  
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
शिव

06.08.25

पत्रावली पेश हुई।  
प्रार्थी/विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।  
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के  
कारण इतना होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 03.09.25 को पेश हो।

03.09.25

पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित।  
पत्रावली में प्रार्थी वकील की बहस पूरी  
गई एवं पत्रावली का प्रवर्तन किया गया।  
पत्रावली में पेश न्यायालय की पुस्तक पर  
अंकित तमारी वक्ता एवं वर्तमान तस्वीर  
में एकरूपता है। प्रार्थी द्वारा वर्तमान कक्षा  
काशत अनुसूचित तस्वीर डालनी चाही गई है।  
यदि प्रार्थी को निष्पन्न में इशारे हुए  
तस्वीर व निष्पन्न की तस्वीर से अकुतोज  
चाहिए तो उक्त निष्पन्न आदेश की अपील  
सम्बन्ध प्राधिकारी के समक्ष की जा सकती  
है। उक्त धारा 131, 136 RLR Act के  
आवेदन में लिपिकीय त्रुटि या शक्य त्रुटि  
की त्रुटि के लिए उन्हेमाल किया जा  
सकता है। उक्त आवेदन के अंतर्गत निष्पन्न


उपखण्ड अधिकारी  
शिव

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

के विरुद्ध अनुलोच नहीं दिया जा सकता  
साथ ही 702 को रिपोर्ट में भी  
वर्तमान तस्वीर पुस्तक अनुभाग ही बनाई  
गई है तथा जर्नी की खातेदारी में पंजी  
खातेदार का कब्जा किया हुआ है  
से तस्वीर दुबली प्रस्तावित की गई  
है, जो उचित प्रतीत नहीं होती है।  
अतः इस स्थिति में जर्नी का आवेदन  
अस्वीकार किया जाकर खारिज किया  
जाता है।

पत्रावली जैसल लोक नम्बर से  
कम लोक दायित्व दफ्तर है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
शिव